

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री भंवरलाल

किस्म मुकदमा -53,188 रा.का. अधिनियम

विपक्षी : श्री कालुलाल

पत्रावली संख्या : 27 / 22

जीसीएमएस : 2022 / 60

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 04.12.2024</p> <p>पत्रावली अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी एवं प्रतिवादीगण मय स्वयं प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र तलबी मय विद्दो का पेश करने पर तलब की गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र वाद व प्रतिवाद विद्दो का पेश कर वाद व प्रतिवाद को इसी स्तर पर विद्दो किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान को प्रार्थना पत्र वाद व प्रतिवाद विद्दो पर सुना गया तथा प्रार्थना पत्र वाद व प्रतिवाद विद्दो को पढकर अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुनाया गया। जिसे सुन समझकर सही होना स्वीकार किया। पक्षकारान की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई।</p> <p>चूंकि अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी तथा अधिवक्ता प्रतिवादीगण मय स्वयं प्रतिवादीगण अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा वाद व प्रतिवाद को इसी स्तर पर विद्दो कर खारिज करवाना चाहते हैं। ऐसे में वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विद्दो का स्वीकार किया जाकर वाद वादी व प्रतिवादगण का काउण्टर वाद इसी स्तर पर विद्दो फरमाया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	

